

# राजस्थान आवासन मण्डल

आवास भवन, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर दूरभाष - 0141-2744688

हमारा प्रयास, सबको आवास

## राजस्थान के प्रमुख शहरों की पूर्ण विकसित कॉलोनियों में खुली नीलामी द्वारा प्रीमियम सम्पत्ति खरीदने का स्वर्णिम अवसर

क्र. सं.	शहर	योजना का नाम	भूखण्ड/ आवास सं.	सम्पत्ति का विवरण	आय वर्ग/ क्षेत्रफल	न्यूनतम बोली मूल्य ( रुपयों में )	खुली नीलामी की दिनांक व समय	खुली नीलामी का स्थान
1	जयपुर	प्रताप नगर, सांगानेर	स्वतंत्र आवास संख्या 32/12	सेक्टर-3 जोन-32	उच्च आय वर्ग 236.25 व.मी.	95,00,000/-	13.12.2019 प्रातः 11 बजे से	कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त-प्रथम सेक्टर-5 प्रताप नगर सांगानेर, जयपुर
2	जयपुर	प्रताप नगर, सांगानेर	आवासीय भूखण्ड 100/159	सेक्टर-10	उच्च आय वर्ग प्रति वर्ग मीटर	40,00,000/-	13.12.2019 प्रातः 11 बजे से	
3	जयपुर	मानसरोवर	फ्लैट संख्या 31/81/12 SF	सेक्टर-3	ई.इक्यू.एस 9.170 व.मी.	8,50,000/-	13.12.2019 प्रातः 11 बजे से	कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त-द्वितीय, मानसरोवर, जयपुर
4	जयपुर	मानसरोवर	फ्लैट संख्या 30/52/02 GF	सेक्टर-3	एम.आई.जी-ए 68.44 व.मी.	20,00,000/-	13.12.2019 प्रातः 11 बजे से	
5	जयपुर	आई.जी. नगर	स्वतंत्र आवास संख्या 10-एच-123	सेक्टर-10	उच्च आय वर्ग 128.00 व.मी.	51,51,600/-	13.12.2019 प्रातः 11 बजे से	कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त-तृतीय, मालवीय नगर, जयपुर
6	जयपुर	मालवीय नगर	स्वतंत्र आवास संख्या 1/13	सेक्टर-1	एम.आई.जी-बी 120.00 व.मी.	60,00,000/-	13.12.2019 प्रातः 11 बजे से	
7	अजमेर	पंचशील	स्वतंत्र आवास संख्या 3/71	सेक्टर-3	एम.आई.जी-ए 90.00 व.मी.	25,00,000/-	13.12.2019 प्रातः 11-3 बजे	
8	अजमेर	पंचशील	स्वतंत्र आवास संख्या 6/21	सेक्टर-6	एम.आई.जी-ए 90.00 व.मी.	27,00,000/-	13.12.2019 प्रातः 11-3 बजे	कार्यालय आवासीय अभियंता, खण्ड-अजमेर
9	अजमेर	पंचशील	स्वतंत्र आवास संख्या 3/192	सेक्टर-3	एम.आई.जी-बी 120.00 व.मी.	45,00,000/-	13.12.2019 प्रातः 11 बजे से	
10	अजमेर	पंचशील	स्वतंत्र आवास संख्या 2/280	सेक्टर-2	एम.आई.जी-बी 120.00 व.मी.	40,00,000/-	13.12.2019 प्रातः 11-3 बजे	
11	अजमेर	वैज्ञानिक नगर	स्वतंत्र आवास संख्या 3-ग-16	सेक्टर-3	एम.आई.जी-बी 120.00 व.मी.	40,00,000/-	13.12.2019 प्रातः 11 बजे से	
12	सीकर	शिवसिंहपुरा	स्वतंत्र आवास सं. 10/167 प्लिंथ स्तर तक	सेक्टर-10	ई.इक्यू.एस 68.25 व.मी.	13,65,000/-	13.12.2019 प्रातः 11 बजे से	
13	सीकर	शिवसिंहपुरा	स्वतंत्र आवास सं. 10/168 प्लिंथ स्तर तक	सेक्टर-10	ई.इक्यू.एस 68.25 व.मी.	13,65,000/-	13.12.2019 प्रातः 11 बजे से	कार्यालय परियोजना अभियंता ( चरिष्ठ ), शिवसिंहपुरा, सीकर
14	सीकर	शिवसिंहपुरा	स्वतंत्र आवास संख्या 12/21	सेक्टर-12	एम.आई.जी. 101.25 व.मी.	25,50,000/-	13.12.2019 प्रातः 11-3 बजे	
15	चूरु	चूरु	स्वतंत्र आवास संख्या 3/143	सेक्टर-3	ई.इक्यू.एस 59.06 व.मी.	5,82,000/-	13.12.2019 प्रातः 11 बजे से	कार्यालय परियोजना अभियंता ( चरिष्ठ ), चूरु
16	चूरु	चूरु	स्वतंत्र आवास संख्या 4/60	सेक्टर-4	एम.आई.जी 90.00 व.मी.	11,16,000/-	13.12.2019 प्रातः 11 बजे से	
17	कोटा	टाटाबाड़ी	स्वतंत्र आवास संख्या 1-ख-26	सेक्टर-1	एम.आई.जी-बी 114.00 व.मी.	80,00,000/-	13.12.2019 प्रातः 11 बजे से	
18	कोटा	टाटाबाड़ी	स्वतंत्र आवास संख्या 1-ख-25	सेक्टर-1	एम.आई.जी-बी 114.00 व.मी.	80,00,000/-	13.12.2019 प्रातः 11 बजे से	कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त-कोटा
19	कोटा	विज्ञान नगर	स्वतंत्र आवास संख्या 3-घ-23	सेक्टर-3	एम.आई.जी-ए 91.50 व.मी.	52,00,000/-	13.12.2019 प्रातः 11 बजे से	
20	अलवर	सीईबी	स्वतंत्र आवास संख्या 1-क-30	सेक्टर-1	एम.आई.जी-बी 165.60 व.मी.	80,00,000/-	13.12.2019 प्रातः 11 बजे से	कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त-अलवर
21	अलवर	सीईबी	स्वतंत्र आवास संख्या 5-ख-53	सेक्टर-5	एम.आई.जी-बी 158.84 व.मी.	60,00,000/-	13.12.2019 प्रातः 11 बजे से	

नोट: नीलामी की विस्तृत शर्तें मण्डल की वेबसाइट [www.urban.rajasthan.gov.in/rhb](http://www.urban.rajasthan.gov.in/rhb) पर देखी जा सकती हैं।

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा प्रत्येक बुधवार को आयोजित **बुधवार नीलामी उत्सव** में भाग लेकर अधिकतम 50 प्रतिशत तक की छूट पर आवास लेने का सुनहरा मौका।

## राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।

### राजस्थान के प्रमुख शहरों में पूर्ण विकसित कॉलोनियों में खुली नीलामी द्वारा प्रीमियम सम्पत्ति के निस्तारण की शर्तें—

1. प्रत्येक नीलामी में भाग लेने के लिये बोलीदाता को न्यूनतम बिड मूल्य का 5 प्रतिशत अमानत राशि के रूप में जमा करानी होगी तथा राशि रूपये 10.00 करोड़ से अधिक के न्यूनतम बोली मूल्य पर अमानत राशि के रूप में रूपये 50.00 लाख अथवा न्यूनतम बिड मूल्य का 05 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, जमा करानी होगी।
2. उच्चतम बोलीदाता को विक्रय मूल्य की 10 प्रतिशत राशि पूर्व में जमा कराई गई राशि को समायोजित करते हुये 72 घण्टे में सम्बन्धित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल के कार्यालय में जमा करानी होगी। सभी राशियाँ बैंकर्स चैक/ डी.डी. के द्वारा जो कि राजस्थान आवासन मण्डल के नाम देय होगा, जमा करानी होगी। यदि जमा कराने के अन्तिम दिन राजकीय अवकाश हो तो उसके आगामी कार्य दिवस में जमा करानी होगी। उक्त राशि जमा न होने पर नीलामी निरस्त कर अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी। उच्चतम बोलीदाता द्वारा 72 घण्टे में 10 प्रतिशत राशि जमा कराने के उपरान्त नीलामी स्वीकृती हेतु मुख्यालय प्रेषित की जावेगी। राजस्थान आवासन मण्डल को बिना कोई कारण बताये किसी भी बोली को स्वीकार/निरस्त करने का अधिकार होगा।
3. शेष राशि मांग पत्र जारी होने की तिथि से 60 दिवस की अवधि में जमा करानी होगी। यदि बोलीदाता 60 दिवस में राशि जमा नहीं कराता है तो जमा राशि जब्त कर ली जावेगी और बोली स्वतः निरस्त हो जावेगी।
4. नीलामी से संबंधित समस्त राशि नकद रूप में प्राप्त न की जाकर पे-आर्डर अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट के जरिये प्राप्त की जावेगी।
5. खुली बोली न्यूनतम 100/- रूपये के गुणक में स्वीकार होगी।
6. नीलामी समिति का अधिकार होगा कि स्वच्छ व प्रतियोगी बोली प्राप्त नहीं होने पर वह किसी भी समय बोली कार्य को स्थगित/निरस्त कर सकेगी। खुली बोली में न्यूनतम तीन बोलीदाता अवश्य होना चाहिये अन्यथा बोली स्थगित कर दी जावेगी।
7. फर्म द्वारा नीलामी : यदि किसी कम्पनी अथवा फर्म के नाम से बोली लगाई जाती है तो बोली प्रारम्भ होने से पूर्व ऐसी कम्पनी अथवा फर्म के रजिस्ट्रेशन संबन्धी दस्तावेज एवं बोली लगाने वाले अधिकृत व्यक्ति के पक्ष में फर्म/कम्पनी द्वारा पारित प्रस्ताव प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. लीज अवधि राशि एवं लीज राशि : भूखण्ड वार्षिक शहरी जमाबन्दी (लीज होल्ड) पर विक्रय किया जावेगा। लीज की अवधि 99 वर्ष की होगी। इस अवधि के बाद मण्डल की सहमति से लीज अवधि 99 वर्ष के अवधि बढ़ाई जा सकेगी। आवासीय



भूखण्डों/आवास के मामलों में लीज राशि की गणना प्रचलित आवासीय आरक्षित दर की 2.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से देय होगी।

9. आवासीय भूखण्ड/आवास "जहां है जैसा है" के आधार पर विक्रय किया जावेगा। भूखण्ड पर यदि किसी प्रकार की बिजली/पानी की लाईन/पोल इत्यादि लगा हुआ है तो उसकी जानकारी राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा दी जायेगी। उसके हटाने का खर्चा स्वयं क्रेता वहन करेगा। इस बाबत कोई शर्त मण्डल को स्वीकार्य नहीं होगी।
10. विक्रय की गई सम्पत्ति की सम्पूर्ण राशि जमा होने एवं भौतिक कब्जा लेने तथा क्रेता द्वारा पंजीयन सम्बन्धी समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण करने के पश्चात् सम्बन्धित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता द्वारा क्रेता के पक्ष में लीज डीड 30 दिवस में जारी करना अनिवार्य होगा।
11. भूखण्ड पर निर्माण : - कय किये गये भूखण्ड पर निर्माण मण्डल की निर्धारित समयावधि में करवाना आवश्यक होगा अन्यथा मण्डल के नियमानुसार मण्डल कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होगा। क्रेता द्वारा निर्माण, स्वीकृत नक्शे के अनुसार कराना होगा तथा शहरी निकाय के प्रचलित भवन निर्माण विधियों के मापदण्डों का ध्यान रखा जायेगा।
12. नीलामी के बोलीदाता के साथ केवल एक व्यक्ति को प्रवेश दिया जावेगा।
13. अन्य शर्तें प्रपत्रानुसार एवं मण्डल नियमानुसार मान्य होंगी।
14. लीज राशि व एकमुश्त लीज राशि पर नियमानुसार जी.एस.टी. देय होगा।
15. त्रि-पक्षीय अनुबन्ध : अगर आवंटी मण्डल की सम्पूर्ण राशि जमा कराने हेतु किसी वित्तीय संस्था से ऋण लेकर चुकाना चाहता है तो मण्डल को त्रि-पक्षीय अनुबन्ध के लिये अनुरोध कर सकता है। उप आवासन आयुक्त की अनुमति से त्रिपक्षीय अनुबन्ध किया जा सकेगा। आवासन मण्डल बिना कारण बताये त्रिपक्षीय अनुबन्ध के लिये इन्कार भी कर सकता है।
16. भूखण्ड पर कब्जा हस्तान्तरण : मांग राशि सम्पूर्ण भुगतान करने के पश्चात् मण्डल 15 दिवस में भूखण्ड/आवास का आवश्यक रूप से कब्जा सम्भला देगा।
17. अधिक जानकारी के लिए सम्बन्धित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता के कार्यालय में सम्पर्क करें।




आवासन आयुक्त

कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त-प्रथम  
राजस्थान आवासन मण्डल, सेक्टर-05, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर  
क्रमांक : 8341 दिनांक : 12/12/2019

### कार्यालय आदेश


दिनांक 03 दिसम्बर 2019 के राजस्थान पत्रिका के दैनिक अंक में दिनांक 13.12.2019 को राजस्थान आवासन मण्डल की खुली नीलामी के आयोजन की विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया है। उक्त नीलामी में प्रस्तावित उच्च आय वर्ग के आवास संख्या 32/12, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर को अपरिहार्य कारणों से विलोपित किया जाता है। शेष शर्तें यथावत रहेंगी।



(आर सी जैन)  
उप आवासन आयुक्त  
वृत्त-प्रथम, रा.आ.मं., जयपुर

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है।

1. निजी सचिव-आवासन आयुक्त, राज. आवा. मण्डल, जयपुर
2. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम, राज. आवा. मण्डल, जयपुर
3. मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राज. आवा. मण्डल, जयपुर
4. संयुक्त निदेशक (सिस्टम एनालिस्ट), राज. आवा. मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि मण्डल की वेबसाईट पर सम्बन्धित नीलामी सूचना के साथ अपलोड करावे।
5. संयुक्त निदेशक (जनसम्पर्क), राज. आवा. मण्डल, जयपुर
6. आवासीय अभियन्ता, खण्ड-चतुर्थ, राज. आवा. मण्डल, जयपुर
7. सम्बन्धित पत्रावली।



उप आवासन आयुक्त  
वृत्त-प्रथम, रा.आ.मं., जयपुर